कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/18–19 दिनांकः 11.10.2018

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा ।

विषयः– अतिरिक्त आपूर्ति के आदेश दिनांक 13.09.2018 के तहत आपूर्ति की गई साईकलों की आपूर्ति प्राप्त करने बाबत ।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्र शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/18–19 दिनांक 13.09.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा फर्म विशाल साईकिल प्राईवेट लिमिटेड, लुधियाना (पंजाब) एवं सेठ इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन, लुधियाना (पंजाब) को क्रमशः 32467 एवं 20378 अतिरिक्त साईकिलों की आपूर्ति का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की मांग के अनुसार जारी किया गया था । फर्म से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फर्म ने उपरोक्त साईकिलों की सामग्री असैम्बल हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों पर भेजनी बताई है । चुनाव आयोग के द्वारा दिनांक 06.10.2018 को विधानसभा चुनाव 2018 की घोषणा कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई । इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28012/18–19 दिनांक 09.10.2018 द्वारा विधानसभा चुनावों के घोषणा के पश्चात् आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं स्कूटी, साईकिल, लेपटॉपों को लाभान्वित विद्यार्थियों को वितरण करने पर रोक लगाई गई लेकिन साईकिलों की आपूर्ति का आदेश चुनाव घोषणा से पूर्व दिनांक 13.09.2018 को दिया जा चुका है । दोनो फर्मों ने साईकिल असैम्बल हेतु नोडल केन्द्रों पर भेज दी गई है । अतः फर्म द्वारा असैम्बल की गई साईकिलों की पूर्व निर्धारित तकनीकी कमेटी से तकनीकीं निरीक्षण कराया जाकर आपूर्ति प्राप्त की जाकर सम्बन्धित विद्यालय को भिजवाई जानी सुनिश्चित करावें व सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखी जावे । उक्त साईकिलों का वितरण चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त होने पर बालिकाओं को किया जायेगा । फर्म के प्रतिनिधि द्वारा इस कार्यालय को यह अवगत कराया गया है कि अलवर जिले के कठूमर एवं रामगढ़ नोडल केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों द्वारा फर्म के श्रमिकों को असैम्बल के कार्य करनें से मना किया जा रहा है । अतः इस प्रकार की कार्यवाही करने के फलस्वरूप फर्म के असैम्बल के कार्य में देरी होने के फलस्वरूप फर्म से एल.डी. चार्जेज निविदा प्रलेख के प्रावधानो के अन्तर्गत वसूल करने का प्रावधान है । नोडल केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों द्वारा साईकलों के असैम्बल कार्य में असहयोग के कारण आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नोडल केन्द्र पर निरीक्षण की दिनांक को जितनी साईकिलें फर्म द्वारा असैम्बल की गई हो उनकी संख्या निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से अंकित करें । अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ नोडल केन्द्रों को इस सम्बन्ध में आज ही पाबन्द करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. फर्म सेठ इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, लुधियाना (पंजाब)/ फर्म विशाल साईकिल प्राईवेट लिमिटेड, लुधियाना (पंजाब) को भेजकर लेख है कि नोडल केन्द्र पर आप द्वारा जितनी असैम्बल साईकिलें निरीक्षण हेतु तैयार हो इसकी सूचना सम्बन्धित नोडल/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाते हुए इस कार्यालय को भी असैम्बल साईकिलों की संख्यात्मक सूची अंकित करते हुए भिजवावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर